<u>प्रकरण संख्या 31/2021 महेन्द्र आमेटा बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था, जो अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। वादिया वादग्रस्त राजस्व ग्राम तितरड़ी की आराजी नंबर 722, जिसके साबिक आराजी नंबर 1158 हाल रकबा 0.1450 है, की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादी का जवाब आ चुका था तथा प्रकरण तनकियात हेतु नियत था। तनकी बनाने का कार्य न्यायालय का होता है इसलिए वादिया या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उक्त वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया, जिसे पुनः नम्बर पर लिया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.10.2021 से उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.11.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का जवाब आ चुका था तथा प्रकरण कायम तनकियात नियत था तथा तनकी बनाने का कार्य न्यायालय का होता है इसमें न तो वादी पक्ष की ओर उसके अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसे पुनः नंबर पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:14 IST
Reason: SelfAttested

लेने हेतु अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें देरी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया एवं प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत होने के आधार पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2005 (2) Page 1053, RBJ (8) 2001 Page 585, RRT 2006 (2) Page 1082, AIR 2002 Supreme Court 451 :: 2001 AIR SCW 5065, AIR 1981 Supreme Court 1400 :: 1981 All.L.J. 704 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का कोई उचित कारण नहीं बताये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का आदेश 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि प्रकरण वास्ते तनकियात नियत था जो न्यायालय का कार्य होता है इसमें पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है एवं इस संबंध में न्यायिक नजीर RRT 2005 (2) Page 1053 प्रस्तुत की। उक्त न्यायिक नजीर अनुसार प्रकरण कायम तनकियात नियत होने पर पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है एवं इस आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। उक्त नजीर अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में वाद खारिज किये जाने को त्रुटि पूर्ण माना है। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.10.2021 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2019 को वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र दिनांक 19–08–2020 को प्रस्तुत किया गया है एवं विलम्ब का कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया/अपीलान्ट का वृद्ध महिला होना तथा मार्च 2020 से लोकडाउन होना बताया है, जो उचित कारण प्रतीत होता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विलम्ब का उचित कारण नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में प्रकरण मियाद के बिन्दु पर खारिज नहीं कर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का आदेश पारित किया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:14 IST
Reason: SelfAttested